

# कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक- शिकिा/प्रारं/आरटीई/बी/बैठक सूचना/18863/2018-19/237

दिनांक-24/12/2018

जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा(मुख्यालय)  
समस्त जिला(राजस्थान)।

**विषय:-**दोहरा नामांकन व राज्य सरकार के पत्र दिनांक 19.01.16 की जांच के संबंध में मान्यता समाप्ति/एफआईआर निर्देशों की पालना में वर्तमान अद्यतन स्थिति रिपोर्ट निदेशालय को 31.12.2018 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करने बाबत।

**प्रसंग:-**दिनांक 24.12.2018 को आयोजित समीक्षा बैठक।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित बिन्दु अनुसार कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट निदेशालय में प्रेषित करावे:-

क.स.	अवधि	किये जाने वाला कार्य
01.	दिनांक 31.12.2018 तक	01. सत्र 2017-18 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के शत प्रतिशत भुगतान हेतु विद्यालयों से दावाप्रपत्र तैयार करवाना तथा उनका पुनर्भरण किया जाना। सत्र 2017-18 की प्रथम व द्वितीय किस्त का भुगतान 80 प्रतिशत किया जाना है। 02. राज्य सरकार के पत्र दिनांक 19.01.2016 आरटीई की गहन जांच के अन्तर्गत दोषी पाये गये निजी विद्यालयों के विरुद्ध तथा कार्यालय हाजा के पत्र दिनांक 13.11.2018 दोहरा नामांकन के अन्तर्गत दोषी पाये गये निजी विद्यालयों के विरुद्ध मान्यता समाप्ति/एफआईआर की कार्यवाही सूचना निदेशालय को प्रेषित करना।
02.	दिनांक 28.02.2019 तक	01. दिनांक 11.01.19 को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त की बैठक आयोजित कर सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में भौतिक सत्यापन से वंचित विद्यालयों की सूची बनाकर सत्यापन योग्य पाये जाने वाले विद्यालयों के नाम निदेशालय को प्रेषित करना। 02. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त द्वारा 2015-16, 2016-17 की प्रथम-द्वितीय किस्त के भुगतान से कोई भी विद्यालय आरटीई पुनर्भरण से वंचित नहीं होने का प्रमाण पत्र लिया जाना है। इस अदेय प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित जिशिअ, प्राशि (मु) बकाया नहीं रहने का प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रेषित करना।

संलग्न उपरोक्तानुसार

www.rajteachers.com

  
निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर